बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN)- U45200BR1974SGC001126
प्रधान कार्यालय–कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०–5, थाना–हवाई अड्डा थाना, पटना–800014.

उदय कुमार दास
मुख्य अभियंता

मोबाईल नं० : 9431011637
वेबसाईट : www.bpbcc.bihar.gov.in
फैक्स नं० : 0612-2224529

पत्र संख्या :   दिनांक :– 2026

कार्यालय आदेश सं0..........56......2026

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–38/SBD/2023-24 के माध्यम से दिनांक–02.11.2023 को नालंदा जिलान्तर्गत बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में महिला एवं पुरूष सिपाहियों के प्रशिक्षण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु एकेडमी के प्रांगण में 4000 सिपाहियों के बैरक (2000 महिला एवं 2000 पुरूष) (G+4) तथा दो अदद् ट्रेनिंग क्लास रूम (G+4) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (अवशेष कार्य) की निविदा ग्रुप सं0–01 पर आमंत्रित कि गई थी, जिसके सापेक्ष में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि–22.11.2023 थी।

2. उपर्युक्त निविदा eNIT-38/SBD/2023-24 के विरूद्ध प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन दिनांक–04.07.2024 को निगम के बेवसाईट पर अपलोड किया गया एवं 03 दिनों के अन्तर्गत यदि कोई आपत्ति हो तो व्यक्त करने को कहा गया।

3. तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त प्रतिवेदन के जवाब में दूसरे निविदाकार M/s Govinda Construction-Arvind Kumar (JV) से एक पत्र दिनांक–08.07.2024 को प्राप्त हुआ, जिसमें Hon'ble Superme Court में SLP लंबित होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक–15.01.2025 के आदेश के उपरांत 38/SBD/2023-24 के अन्तर्गत प्राप्त निविदा के तकनीकी मूल्यांकन की कार्रवाई हेतु निविदाकारों के निविदा में बीड को BID Validity दिनांक–30.04.2025 तक एवं अग्रधन के रूप में जमा बैंक गारंटी की वैद्यता दिनांक–30.06.2025 तक विस्तारण हेतु निगम द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक–02.01.2025 को प्रेषित किया गया।

5. तद्आलोक में M/s Prasad Construction & Co. ने अपने पत्र संख्या–शून्य, दिनांक–04.01.2025 द्वारा अपनी Bid Validity दिनांक– 30.04.2025 तक बढ़ाने कि सहमति के साथ बैंक गारंटी की वैधता 30.06.2025 तक बढ़ा दिया।

6. M/s Prasad Construction & Co. के सहमति के पश्चात्, पूर्व में दिनांक–04.07.2024 को सम्पन्न तकनीकी मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जिसमें आपकी निविदा मान्य योग्य पाया गया था, को दिनांक–19.02.2025 को पुनः इनके E-mail एवं निगम के वेबसाईट पर भेजा गया एवं तीन दिनों के अंतर्गत यदि कार्यवाही के विरूद्ध कोई आपत्ति हो तो व्यक्त करने को कहा गया।

7. M/s Prasad Construction & Co. के उपर्युक्त सहमति एवं निविदा का तकनीकी बीड खुलने के उपरान्त आपने पत्रांक– PCC/Police/03/2025/84, दिनांक–17.03.2025 के द्वारा अपनी निविदा वापस लेने एवं EMD की राशि वापस करने का आवेदन दिया है। यह स्पष्टतः SBD की Clause 16.6(a) का उल्लंघन है।

8. इस निविदा में दूसरे निविदाकार द्वारा भी अपने पत्र संख्या–GCAK/2024-25/06, दिनांक 20.02.2025 के माध्यम से निविदा वापिस ले ली गई तथा EMD राशि वापिस करने का अनुरोध किया गया है।

9. उपरोक्तानुसार दोनों निविदाकारों द्वारा अपनी निविदा वापस लेने के कारण NIT संख्या 38/SBD/2023-24, Group-1 निविदा को मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के हस्ताक्षर से जारी Memo No.- HQ-1245, दिनांक–07.04.2025 में निहित कार्यालय आदेश संख्या 182/2025 द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि NIT संख्या 38/SBD/2023-24 के ग्रुप सं0–01 में निहित उपरोक्त निविदा का अस्तित्व समाप्त हो चुका था।

10. इसके उपरांत मुख्य अभियंता के पत्र सं0 HQ 1261 दिनांक 07.04.2025 द्वारा आपको कारण बताओ नोटिस जारी किये गये जिसे पत्र प्राप्ति के तारीख से एक सप्ताह अवधि के भीतर यानि 15.04.2025 तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया कि तकनीकी बोलियों के खुलने के बाद बोली की वैधता की अविधि के दौरान M/s Prasad Construction & Co. द्वारा बोली को वापस लेने के लिए SBD के खण्ड 16.6 (a) के तहत् आपके द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि क्यों न जब्त कर लिया जाय।

11. M/s Prasad Construction & Co. के पत्र सं0 PCC/Police/04/2025/02 दिनांक 15.04.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी उल्लेखित है कि वह अपने पत्र दिनांक 17.03.2025 की विषयवस्तु वापस लेता है और यह भी आवश्वासन देता है कि निविदा की वैधता अवधि से पहले अपनी निविदा वापस नहीं लेगा। आपका यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके द्वारा निविदा वापस लेने के लिए दायर आवेदन के आधार पर संबंधित NIT No. 38/SBD/2023-24 के ग्रुप सं0 01 के कार्य को कार्यालय आदेश 182/2025 में मुख्य अभि0, BPBCC द्वारा रद्द कर दिया गया। एक बार निविदा खुलने के बाद निविदाकारों द्वारा निविदा की वैधता के अंतर्गत निविदा वापस लेने के पश्चात् SBD में उक्त वापसी को पूर्ववत् करने का कोई प्रावधान नहीं है।

12. पुनः मुख्य अभियंता के पत्र सं0 HQ 2977 दिनांक 01.08.2025 द्वारा M/s Prasad Construction & Co. को यह सूचित करते हुए की आपके पत्र दिनांक 15.04.2025 में दर्शाये गये कारण प्रयाप्त रूप से मान्य नहीं है अतः उचित कारण बताये कि क्यों नहीं SBD के ITB Clause 16.6 (a) के तहत् कार्यवाई की जाय।

13. M/s Prasad Construction & Co. के पत्र सं0– PCC/Police/Rajgir/09/2025/62 दिनांक 02.09.2025 द्वारा पुनः यह उल्लेखित किया गया कि पत्र दिनांक 15.04.2025 द्वारा आपने निविदा में बने रहने के लिए लिखा था।

14. उपर्युक्त कार्य में EMD के रूप में M/s Prasad Construction & Co. द्वारा जमा रू0 1,26,50,000.00 का Bank Guarantee निगम के पास जमा है। चूंकि आपके फर्म M/s Prasad Construction & Co. के द्वारा Bid Validity की अवधि में ही तकनीकी बीड खुलने के उपरान्त बीड वापस ले लिया गया, इसलिये EMD के रूप में आपके द्वारा जमा उपर्युक्त राशि SBD के Clause 16.6(a) के तहत् जब्त कर लिये जाने का पर्याप्त आधार है। SBD की Clause 16.6(a) निम्नवत् हैः–

16.6. The Earnest money may be forfeited
(a) if the Bidder withdraws the Bid after Bid opening during the period of Bid Validity

15. अतः EMD की राशि जब्त करने के संबंध में की गई कारण पृच्छा इस कार्यालय के पत्रांक HQ 1261 दिनांक 07.04.2025 एवं पत्रांक HQ 2977 दिनांक 01.08.2025 के प्रसंग में निविदाकार M/s Prasad Construction & Co. का पत्रांक PCC/Police/02/2025/02 दिनांक 15.04.2025 एवं पत्रांक PCC/Police/Rajgir/09/2025/62 दिनांक 02.09.2025 में दर्शाये गये कारणों को अस्वीकृत करते हुए, ई–निविदा सूचना संख्या 38/SBD/2023-24 के ग्रुप सं0–01 का कार्य, नालंदा जिलान्तर्गत बिहार पुलिस

एकेडमी राजगीर में महिला एवं पुरूष सिपाहियों के प्रशिक्षण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु एकेडमी के प्रांगण में 4000 सिपाहियों के बैरक (2000 महिला एवं 2000 पुरूष) (G+4) तथा दो अदद् ट्रेनिंग क्लास रूम (G+4) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य (अवशेष कार्य) के लिए निविदाकार M/s Prasad Construction & Co. के द्वारा EMD के रूप में जमा राशि रू0 1,26,50,000.00 मात्र की राशि जब्त की जाती है।

2/2/26

मुख्य अभियंता
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

ज्ञापांकः– Ho 403 / पटना, दिनांकः– 2/2/2026

प्रतिलिपिः– मे0 प्रसाद कन्सट्रक्शन एण्ड कं0, लीला मोहन निवास, नाई सराय, बिहार शरीफ, पटना–800023, E-mail- prasadconstruction.2012@gmail.com को प्रेषित सूचनार्थ प्रेषित।

2/2/26

मुख्य अभियंता
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

ज्ञापांकः– Ho 403 / पटना, दिनांकः– 2/2/2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, मोनेटरिंग / अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 / मुख्य लेखा पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमंडल, राजगीर, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ प्रेषित।

2/2/26

मुख्य अभियंता
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड

ज्ञापांक– Ho 403 / पटना, दिनांक– 2/2/2026

प्रतिलिपिः श्री जितेन्द्र गिरि, वरीय निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2/2/26

मुख्य अभियंता
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड